आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No. 13 of 2020

Dist.:- Kishanganj

PRESENT :- Sri Vivek Kumar Singh, I.A.S., Chairman-Cum-Member.

Md. Jawid Anwar - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Appellant : Sri Fakhruddin Ali Ahmad, Advocate

For the Respondent : -

आदेश

17.05.2023

यह सेवा अपील, मो0 जावीद अनवर, सहायक उर्दू अनुवादक सह नाजिर, जोकीहाट प्रखण्ड, अररिया द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) के आदेश ज्ञापांक– 211 दिनांक 21.05.2014 द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध दायर किया गया है।

मो0 जावीद अनवर, सहायक उर्दू अनुवादक, जोकीहाट प्रखण्ड, अररिया को इन्दिरा आवास एवं अन्य योजनाओं की राशि को जोकीहाट प्रखण्ड स्थित डेहटी पैक्स में जमा/दुरूपयोग करने के आरोप में जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक– 22 दिनांक 31.01.2009 के आधार पर निलंबित करते हुए संचालित विभागीय कार्यवाही के अनुसार दोषी पाये जाने पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के ज्ञापांक– 211 दिनांक 21.05.2014 के द्वारा डेहटी पैक्स में खाता खोलकर एक करोड़ पैंतीस लाख रूपये जमा कराने एवं 118.00 लाख रूपये के गबन का 1/3 वसूली के साथ सेवा से तत्कालिक प्रभाव से बर्खास्त किया गया है।

श्री अनवर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा गठित प्रपत्र –'क' में निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :–

1. **डेहटी पैक्स में अनियमित रूप से खाता खोलना एवं राशि जमा करना–** श्री जावीद अनवर, उर्दू अनुवादक, प्रखंड कार्यालय, जोकीहाट सम्प्रति नाजिर, प्रखंड

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर कार्रवाई के बा… टिप्पणी तारीख स… 3

कार्यालय जोकीहाट में कार्यरत रहे हैं। दिनांक 22.09.2007 को प्रखंड नाजिर श्री जावीद अनवर के हस्ताक्षर से डेहटी पैक्स में चालू खाता संख्या– 3613 खोला गया तथा इंदिरा आवास योजना की 135.00 लाख का चेक खाता संख्या– 729963 दिनांक– 16.08.2007 को जमा किया गया। इनके द्वारा दिनांक 04.03.2008 को डेहटी पैक्स का चेक संख्या– 5810 दिनांक– 04.03.2008 द्वारा 25.00 लाख एवं चेक संख्या– 5811 दिनांक 04.03. 2008 द्वारा 25.00 लाख कुल 50.00 लाख रूपये, बैंक ऑफ बड़ौदा, तारण शाखा में स्थानान्तरित किया गया, परंतु डेहटी पैक्स द्वारा उसका क्लीयरेंस बैंक ऑफ बड़ौदा को नहीं किया गया। नम्बर, 2007 से मार्च, 2008 के बीच इंदिरा आवास के लाभुकों को भुगतान करने हेतु 78.86 लाख रूपये का एडवाईज भेजा गया परन्तु डेहटी पैक्स के द्वारा मात्र 16.80 लाख रूपये का भुगतान किया गया एवं 48.00 लाख का एडवाईस वापस कर दिया गया, बाद में पुनः 13.58 लाख रूपये का एडवाईस डेहटी पैक्स द्वारा वापस कर दिया गया, इस प्रकार कुल 61.76 लाख का एडवाईज डेहटी पैक्स द्वारा वापस कर दिया गया। डेहटी पैक्स के जिम्मे इस प्रकार 118.00 लाख रूपये शेष रह गये जो मार्च 2008 के बाद कई स्मारों के बावजूद लाभार्थी को भुगतान नहीं किया गया।

इस प्रकार जहाँ लाभार्थी इंदिरा आवास योजना के लाभ से वंचित हो गये वहीं दूसरी ओर सरकारी राशि का दुरूपयोग भी हुआ, जिसके लिए श्री जावीद अनवर, उर्दू अनुवादक, प्रखंड कार्यालय, जोकीहाट सम्प्रति नाजीर, प्रखंड कार्यालय जोकीहाट दोषी पाये गये।

2. **इंदिरा आवास मार्गदर्शिका का उल्लंघनः–** दिनांक 01.04.2004 से लागू इंदिरा आवास योजना के मार्गदर्शिका के नियमावली 4-VII से स्पष्ट है कि इंदिरा आवास योजना की राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारिता बैंक या डाकघर में रखा जाना है परन्तु श्री अनवर के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया जिसके लिए श्री जावीद अनवर दोषी पाये गये।

3. **उप विकास आयुक्त, अररिया के निदेश की अवहेलना कर इंदिरा आवास की राशि पैक्स में जमा रखा गयाः–** उप विकास आयुक्त, अररिया के आदेश ज्ञापांक 977 दिनांक 26.09.2006 पत्रांक– 1123 दिनांक 21.11.2006 एवं पत्रांक– 163/गो0 दिनांक 13.10.2007 के द्वारा निदेश दिया गया कि इंदिरा आवास योजना एवं अन्य

की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

योजनाओं की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाय लेकिन इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

उप विकास आयुक्त के निदेश के बावजूद डेहटी पैक्स में राशि जमा करने के लिए श्री जावीद अनवर, उर्दू अनुवादक, प्रखंड कार्यालय, जोकीहाट सम्प्रति नाजीर, प्रखंड कार्यालय, जोकीहाट दोषी पाये गये एवं इस प्रकार इस अनियमित कार्य में आपकी संलिप्तता प्रमाणित करते हुए आवश्यक कार्यवाई की गई।

जाँच प्रतिवेदन के आलोक में दंड अधिरोपित करने के पूर्व श्री अनवर को जाँच प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए उनसे उनका लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गई। तत्पश्चात् श्री अनवर का लिखित अभिकथन उर्दू निदेशालय को प्राप्त हुआ, जिसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री अनवर के लिखित अभिकथन तथा जिला पदाधिकारी, अररिया की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत अंतिम निर्णय लेते हुए उर्दू निदेशालय का आदेश संख्या– 39 सहपठित ज्ञापांक–211 दिनांक– 21.05.2014 द्वारा श्री अनवर को पदच्यूत कर वृहद दंड अधिरोपित किया गया तथा पहुँचायी गयी वित्तीय हानि 118.00 लाख का 1/3 अर्थात् 39.33 लाख रूपये की वसूली नियमानुसार करने हेतु जिला पदाधिकारी, अररिया को प्राधिकृत किया गया।

आदेश संख्या–39 दिनांक 21.05.2014 के विरूद्ध श्री जावीद अनवर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No. 3547/2015 दायर किया गया। CWJC No. 3547/2015 के तहत सुनवाई के दौरान अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केस वापस लिये जाने का अनुरोध किया जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत करते हुए दिनांक 22.06.2015 को दायर वाद को निष्पादित (Disposed Off) कर दिया गया।

पुनः दिनांक 05.10.2017 को श्री जावीद अनवर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित अपील अभ्यावेदन दिया गया। इस अपील अभ्यावेदन को मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा इसी प्रकरण के एक अन्य अभियुक्त श्री परवेज़ नाज़िर जिनको माननीय उच्च न्यायालय के CWJC No. 7002/2014 के आलोक में दिनांक 16.08.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख स 3
	आदेश संख्या –171 दिनांक –28.12.2018 के द्वारा इनकी सेवा पुनर्स्थापित की गई। इसी घटना को आधार बनाते हुए श्री अनवर द्वारा पुनः सेवा में स्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया तदोपरान्त उर्दू निदेशालय द्वारा महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका महाधिवक्ता कार्यालय को भेजी गई। इसी क्रम में महाधिवक्ता द्वारा परवेज नाजीर एवं जावीद अनवर के मामले को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए यह पाया कि दोनों ही मामले इस कारण से भिन्न है कि श्री परवेज नाजीर की सेवा में आने से पूर्व ही संबंधित कार्यालय द्वारा डेहटी पैक्स में खाता खोला गया था, जबकि जावीद अनवर के पदस्थापन के बाद डेहटी पैक्स में खाता खोला गया। इस मामले में महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायायलय द्वारा कहा गया कि ***"in my considered opinion Clause 4C(1) of Bihar State Litigation Policy 2011 does not attract the case of Md. Javed Anwar (dismissed), Assistant Urdu Translator as such is not equating with the case of Pravez Nazir on the similar footing. The department is advised to proceed accordingly "***। श्री जावीद अनवर के अपील अभ्यावेदन को महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) के आदेश सं0–51 दिनांक–28.02.2020 एवं ज्ञापांक– 331, दिनांक– 28.02.2020 द्वारा यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया गया कि– *''जहाँ तक श्री जाविद अनवर का प्रश्न है श्री अनवर के कार्यकाल में डेहटी पैक्स में अनियमित रूप से खाता खोल कर 1.35 करोड़ रूपये की राशि जमा की गई तथा इसमें 1.18 करोड़ रूपये का गबन हुआ। गबन का आरोप प्रमाणित है इसके अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका का उल्लधंन तथा उच्च स्तर के पदाधिकारियों द्वारा दिये गए निदेश की अवहेलना प्रमाणित पाया गया है।* *उपर्युक्त स्थिति में श्री जावीद अनवर एवं श्री परवेज नजीर का मामला Similar Footing का नहीं है तथा बिहार स्टेट लेटिगेशन पॉलिसी, 2011 की कंडिका 4.C(1) से श्री जावीद अनवर का मामला आच्छादित नहीं है।* *इस प्रकार श्री अनवर के अभ्यावेदन पर सम्यक रूप से विचार के उपरांत उनके दिनांक– 02.01.2019 के अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।''* मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में संचालित विभागीय कार्यवाही में द्वितीय कारण पृच्छा के दौरान बचाव अभिकथन में श्री अनवर द्वारा बताया गया कि प्रखंड कार्यालय	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

जोकीहाट में इनकी नियुक्ति सहायक उर्दू अनुवादक के रूप में हुई थी जबकि कार्यालय में लिपिकों के कमी के कारण इनको नाजिर का भी कार्य दिनांक 05.12.2003 से आवंटित किया गया। डेहटी पैक्स में अनियमित रुप से खाता खोलने, राशि जमा करने, इंदिरा आवास मार्गदर्शिका का उल्लंघन करने तथा उप विकास आयुक्त, अररिया के आदेश की अवहेलना के आरोप में जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक– 22 दिनांक– 31.01.2009 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जाँच प्रतिवेदन के संबंध में श्री अनवर का अभिकथन निम्न प्रकार से है :–

1. वित्तीय मामलात में खाता खोलने, बन्द करने, राशि जमा एवं निकासी करने तथा खाता के संचालन एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णय का अधिकार मात्र प्रखंड विकास पदाधिकारी (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) का है।
2. खाता का संचालन खाता धारक के नमूना हस्ताक्षर से होता है।
3. खाता एकल हस्ताक्षर से संचालित हुआ है। संयुक्त हस्ताक्षर का कोई प्रावधान नहीं था।
4. वित्तीय मामलात में नाजिर की सहमति अथवा असहमति का कोई प्रभाव पदाधिकारी पर नहीं पड़ता है। चूँकि यह मामलात नाजिर के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
5. आरोप पत्र में गठित प्रथम आरोप (डेहटी पैक्स में अनियमित रूप से खाता खोलना एवं राशि जमा करना) के संबंध में आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री रमेश झा द्वारा डेहटी पैक्स का खाता सं0– 3613 स्वयं खोला गया जिसमें चेक सं0– 729963 दिनांक– 16.08.2007 के द्वारा राशि 1,35,00,000/– (एक करोड़ पैतीस लाख रूपये) जमा कर स्वयं खाते का संचालन किया गया। (प्रमाण के रूप में चेक संख्या की छायाप्रति निर्गत अन्य चेकों की छायाप्रति, चेक पंजी, रोकड़ बही, सामान्य रोकड़ बही इत्यादि की छायाप्रति सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराया गया। इसी क्रम में दिनांक 04.03.2008 के चेक संख्या– 5810 एवं 5811 जो 25–25 लाख कुल 50 लाख की राशि श्री रमेश झा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने हस्ताक्षर से Bank of Baroda तारण को निर्गत किया जिसका क्लीयरेंस पैक्स द्वारा नहीं दिया गया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर कार्रवाई के ... टिप्पणी तारीख ... 3
	डेहटी पैक्स में खाता खोलने के समय श्री अनवर द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इसको नज़रअंदाज करते हुए प्रखंड कार्यालय के अन्तर्गत इंदिरा आवास के अन्य खाते के रहते हुए स्वयं के हस्ताक्षर से खाता खोला गया।	
	6. इंदिरा आवास मार्गदर्शिका का उल्लंघन के आरोप के संबंध में आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया है कि डेहटी पैक्स में खाता खोले जाने की सूचना प्रत्यक्ष रूप से उप विकास आयुक्त को इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि एक छोटा कर्मी होने के नाते अपने नियंत्री पदाधिकारी (B.D.O) का अत्यधिक प्रतिरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। परन्तु दिनांक– 31.10.2007 के सामान्य रोकड़ बही की छायाप्रति जो की प्रतिवेदन स्वरुप उप विकास आयुक्त, अररिया को भेजी है के माध्यम से उनको अवलोकित कराया गया।	
	7. उप विकास आयुक्त, अररिया के निदेश की अवहेलना कर इंदिरा आवास की राशि पैक्स में जमा रखा गया के आरोप के संबंध में आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री रमेश झा ने स्वीकार किया है कि उन्होंने दबाव में आकर खाता खोला है इसकी पुष्टि श्री राम बाबु सिंह, उपसचिव ग्रामीण विकास विभाग के जॉच प्रतिवेदन में अंकित कथन ***"इसके अतिरिक्त डेहटी पैक्स में राशि रखने के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं जिला परिषद के राज नेताओं के दबाव से भी इंकार नहीं किया जा सकता है"***। साथ ही तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी जोकीहाट श्री नूर अहमद शिवली ने भी अपने पत्रों के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है कि वर्ष 2007–08 में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री रमेश झा द्वारा मु0– 1,35,00,000/– (एक करोड़ पैंतीस लाख रूपये) का चेक जमा किया गया था। इस संबंध में आवेदक द्वारा एक अन्य मामले का उल्लेख किया गया है जिसमें डेहटी पैक्स प्रकरण के मुख्य अभियुक्त शाखा प्रबंधक, डेहटी पैक्स ने अपनी गिरफ्तारी के पश्चात् न्यायालय के समक्ष धारा–164 के तहत दिये गये बयान में उल्लेख किया है कि श्री रामपुकार चौधरी बिचौलिया के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कमीशन लेकर चेक जमा किया है।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

डेहटी पैक्स प्रकरण में दर्ज FIR पलासी थाना कांड सं0– 19/2011 दिनांक– 28.01.2011 में सभी आरोपितों का नाम शामिल है, परन्तु इस FIR में श्री अनवर का नाम शामिल नहीं है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से अपनी असंबद्वता का उल्लेख किया गया है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया। मंत्रिमंडल सचिवालय के ज्ञापांक– 211 दिनांक– 21.05.2014 के द्वारा डेहटी पैक्स में खाता खोलकर 135 लाख जमा करना तथा उसमें से 118 लाख रुपया गबन के सिद्ध आरोप के आलोक में गबन की राशि का 1/3 वसूली के साथ–साथ अपीलार्थी को तत्कालिक प्रभाव से बर्खास्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन एवं अपीलार्थी के लिखित अभिकथन तथा जिला पदाधिकारी, अररिया के अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत अंतिम निर्णय लेते हुए उर्दू निदेशालय के आदेश संख्या–39 सहपठित ज्ञापांक– 211 दिनांक– 21.05.2014 द्वारा श्री अनवर को पदच्यूत कर वृहद दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC NO. 3547/2015 दायर किया गया, जिसे बाद में उनके द्वारा वापस ले लिया गया। अपीलार्थी ने अपने मामले को, श्री परवेज़ नाज़िर (जिनको माननीय उच्च न्यायालय के CWJC No. 7002/2014 के आलोक में दिनांक– 16.08.2018 को पारित आदेश के प्रभाव से उनकी सेवा पुनर्स्थापित की गई) के मामले के समरूप मानते हुए, तदनुरुप कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। परन्तु महाधिवक्ता ने उनके मामले को श्री परवेज़ नाज़िर के मामले के समरूप नहीं पाया एवं तदनुसार इनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।

अपने बचाव में अपीलार्थी ने मूलतः इस बात पर जोर दिया कि चूँकि प्रखंड विकास पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होते हैं तथा खाता का संचालन उन्हीं के एकल हस्ताक्षर से हुआ है इसीलिए मार्गदर्शिका के प्रतिकूल खाता खोलने एवं गबन करने में उनकी भूमिका नहीं रही थी।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विधिवत रूप से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई एवं नैसर्गिक न्याय के अन्तर्गत अवसर देते हुए जाँच पदाधिकारी ने अपना अभिमत दिया। तदोपरांत द्वितीय कारण पृच्छा की भी विभाग द्वारा समीक्षा की

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	गई। उसके पश्चात् भी, इनके अभ्यावेदन पर उर्दू निदेशालय द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया एवं अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। प्रखंड के वित्तीय मामलों में नाज़िर की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। वह किसी के अधीनस्थ होने का तर्क देकर अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में लिया गया निर्णय अभिलेख एवं साक्ष्य पर आधारित है। इसे अलग–अलग स्तरों पर विचारित किया जा चुका है। सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी द्वारा कोई ऐसा नया तथ्य अथवा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे की पूर्व के लिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार वांछित हो। अपील आवेदन में उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य, तथा सुनवाई के क्रम में दिये गये तर्कों के विश्लेषण के उपरांत, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलार्थी के मामले में मंत्रिमंडल सचिवालय (उर्दू निदेशालय) विभाग के द्वारा अधिरोपित दंड में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** 17/5/23 **(विवेक कुमार सिंह)** अध्यक्ष –सह– सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार। 17/5/23 **(विवेक कुमार सिंह)** अध्यक्ष –सह– सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार।	